

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह (टोंक)

सल नम्बर - 264/2023

तारीख - रजु 16.06.2023

उपखण्ड

1. सुनिता कंवर पत्नी सुभेरसिंह जाति राजपूत निवारी उनियाराखुर्द तहसील टोडारायसिंह।

- प्रार्थी

बनाम

2. तहसीलदार/लैण्ड होल्डर, तहसील-टोडारायसिंह

- अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

आदेश

दिनांक : 01.04.2024

प्रार्थी का मुख्य रूप से कथन है कि उनके कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नं. 2319 रकबा 0.28 है, 2320 रकबा 0.38 है, 2321 रकबा 0.75 है, 2322 रकबा 0.21 है कुल किता- 4 कुल रकबा 1.62 है वाके ग्राम उनियाराखुर्द तह. टोडारायसिंह में स्थित है। प्रार्थी की उक्त आराजी के पूर्व में गेड पडी हुई थी, जो वर्तमान में खुर्द-बुर्द की चुकी है तथा आराजी के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके हैं। इस कारण वादग्रस्त आराजी के पडोसी खातेदारान सीमा चिन्ह नष्ट हो जाने के कारण प्रार्थी की उक्त आराजी में घुसकर कब्जा करना चाहते हैं, जिससे आए दिन लड़ाई-झगडे होते रहते हैं। मौके पर कभी भी गंभीर वारदात कर सकते हैं। इस कारण प्रार्थी उक्त वादग्रस्त आराजी के मुश्तकील मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है।

प्रार्थी ने उक्त आराजी की पत्थरगढी करने हेतु तहसीलदार, टोडारायसिंह को निवेदन किया तो उन्होंने पत्थरगढी करने से इंकार कर दिया। जिस पर यह प्रार्थना-पत्र कायम किये जाने, सीमाचिन्ह पत्थरगढी हेतु न्यायालय हाजा में पेश करना आवश्यक हुआ।

विवाद मूल व प्रार्थना-पत्र की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नं. 2319 रकबा 0.28 है, 2320 रकबा 0.38 है, 2321 रकबा 0.75 है, 2322 रकबा 0.21 है कुल किता- 4 कुल रकबा 1.62 है वाके ग्राम उनियाराखुर्द तह. टोडारायसिंह को आवश्यक आदेश व निर्देश प्रदान करे तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय में मंगवाई जाये।

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी प्रस्तुत होने पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थी जरिए नोटिस की गई जिस पर अप्रार्थी नम्बर 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं करवाया गया है। आराजी खसरा नं. 2319 रकबा 0.28 है, 2320 रकबा 0.38 है, 2322 रकबा 0.21 है पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा आराजी खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.75 है पर प्रार्थीगण खातेदारान का कब्जाकाश्त नहीं है। किसी न्यायालय का स्थगन नहीं है। ना ही कोई वाद विचाराधीन है।

अभिभाषक व पैरोकार सरकार को सुना गया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया, बहसा पर गनन किया, वादग्रस्त आराजी मुताबिक नकल, जमाबंदी संवत् 2073-76 वाके ग्राम उनियाराखुर्द तह. टोडारायसिंह की खतौनी संख्या 1207 के अनुसार प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जवाब वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 2319 रकबा 0.28 है, 2320 रकबा 0.38 है, 2322 रकबा 0.21 है पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा आराजी खसरा नम्बर 2321 रकबा 0.75 है पर प्रार्थीगण खातेदारान का कब्जाकाश्त नहीं है। खातेदारान के कब्जेकाश्त की आराजी की पत्थरगढी करवाने के प्रार्थीगण हकदार है व जिस आराजी पर उनका कब्जाकाश्त नहीं है। प्रार्थीगण नियमानुसार सक्षम न्यायालय में उनकी खातेदारी भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रकरण प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। बिना कब्जेकाश्त की आराजी के संबंध में प्रकरण स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, टोडारायसिंह को निर्देश है कि आराजी खसरा नं. 2319 रकबा 0.28 है, 2320 रकबा 0.38 है, 2322 रकबा 0.21 है वाके ग्राम उनियाराखुर्द तह. टोडारायसिंह में प्रार्थी से नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करवाकर प्रार्थी व आराजी के पडोसी खातेदारान की मौजूदगी उक्त आराजी में फसल मौजूद नहीं होने की स्थिति में सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवाये। पालनार्थ तहसीलदार, टोडारायसिंह को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे। शेष खसरा नम्बरान के संबंध में प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 01.04.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(शिवराज गोण)

उपखण्ड अधिकारी
टोडारायसिंह